

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संकल्प

संख्या 15/एम 1-57/2016 (अंश) - 1462

पटना, दिनांक 05/7/2019

विषय :- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य सरकार सुशासन कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत विकसित बिहार के 7 निश्चय में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 02 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ है। विभागीय संकल्प संख्या-617, दिनांक-28.03.2018 के माध्यम से इस योजना के विभिन्न प्रावधानों में परिवर्तन किया गया।

2. राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकित आवेदकों के द्वारा माँग किये जाने की स्थिति में चार लाख रुपये की अधिसीमा के अन्तर्गत अधिकतम रू0 35,000/- (पैंतीस हजार) रुपये तक मात्र एक बार Laptop क्रय करने के लिए ऋण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी तथा यह राशि आवेदकों के खाते में उपलब्ध करायी जाएगी। तदनुसार इस योजना की मार्गदर्शिका के अनुलग्नक-2 में वांछित परिवर्तन किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार तकनीकी पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

3. पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-617 दिनांक-28.03.2018 के कंडिका 03(1) में बिहार राज्य के बाहर के संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है

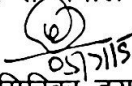
“राज्य के बाहर के सक्षम प्राधिकार से मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी अथवा निजी शिक्षण संस्थानों में नामांकित या नामांकन हेतु चयनित मात्र वैसे अर्हता प्राप्त आवेदकों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा, जिनके संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) के द्वारा न्यूनतम Grade ‘A’ प्राप्त है अथवा संस्थान में संचालित कार्यक्रमों का National Board of Accreditation (NBA) के द्वारा Accreditation प्राप्त है अथवा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत

सरकार द्वारा निर्गत NIRF (National Institutional Ranking Framework) की रैंकिंग प्राप्त है।”

4. उपर्युक्त परिवर्तन संकल्प निर्गत की तिथि से मान्य होंगे।

आदेश — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जन साधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(गिरिवर दयाल सिंह)

सरकार के अपर सचिव

संख्या 15/एम 1-57/2016 (अंश) — 1462 पटना, दिनांक 05/7/2019

प्रतिलिपि :- अपर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को राजकीय गजट में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।


(गिरिवर दयाल सिंह)
सरकार के अपर सचिव

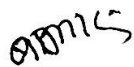
संख्या 15/एम 1-57/2016 (अंश) — 1462 पटना, दिनांक 05/7/2019

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गिरिवर दयाल सिंह)
सरकार के अपर सचिव

संख्या 15/एम 1-57/2016 (अंश) — 1462 पटना, दिनांक 05/7/2019

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सचिव, बिहार विधान सभा/ सचिव, बिहार विधान परिषद्/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि०, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी





आरक्षी अधीक्षक/ सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/ सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ कुलसचिव, राज्य एवं राज्य के बाहर के सभी विश्वविद्यालय एवं संबंधित संस्थान प्रमुख, राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(6)
05/7/19

(गिरिवर दयाल सिंह)

सरकार के अपर सचिव

संख्या 15/एम 1-57/2016 (अंश) - 1462 पटना, दिनांक 05/7/2019

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय प्रोग्राम मैनेजर, 3 आई० इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई/प्रबंध निदेशक, Peregrine Guarding Pvt. Ltd. (TPVA), Gurugram, Haryana/प्रबंधक, Whitelions Pvt. Ltd. (Toll Free No.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विभागीय आई० टी० मैनेजर को संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड किया जाए।

(6)
05/7/19

(गिरिवर दयाल सिंह)

सरकार के अपर सचिव

am